न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84/अपील/16	21.03.2016	21.10.2019

1. श्रीमती शांतिदेवी बेवा कालूलाल जाति कुमरावत, निवासी बाहरली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
2. श्रीमती उषा पुत्री कालूलाल जाति कुमरावत, निवासी बाहरली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
3. अनिल कुमार पुत्र कालूलाल जाति कुमरावत, निवासी बाहरली बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. मंगल सिंह आ. तारासिंह जाति जटसिख, निवासी सीलोर रोड बून्दी
2. मनजीत कौर पत्नी मंगल सिंह जाति जटसिख नि.सीलोर रोड बून्दी (मृतक जर्ये कायम मुकाम)

2/1.जगजीत सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख, निवासी बून्दी
2/2.लखविन्दर सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख, निवासी बून्दी
2/3.जसपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख, निवासी बून्दी

3. बालूलाल आ0 गोपाललाल जाति माली, निवासी ग्राम उलेडा
4. मन्जू शर्मा पत्नी गणेश लाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी (मृतक जर्ये कायम मुकाम)

4/1.डॉ0 विश्वास आ. गणेशलाल जाति ब्रहमण नि. लंकागेट रोड,बून्दी
4/2.वैभव सनाढय आ. गणेशलाल जाति ब्रहमण नि.लंकागेट रोड,बून्दी

5. मुकेश कुमार आ. छोटूलाल जाति ब्राहमण निवासी बून्दी
6. हितेश कुमार आ. गुलाबचन्द जाति महाजन नि. नई धानमण्डी बून्दी
7. लक्ष्मीदेवी पुत्री कृष्णचन्द जाति महाजन,चेनरायजी का कटला बून्दी
8. दीपक बिड़ला आ.शिवनारायण जाति महाजन नि.खोजागेट रोड बूंदी
9. लोकेश माहेश्वरी आ. बजरंगलाल जाति महाजन नि.दादाबाडी कोटा
10. आशा जैन पत्नी सुरेश जैन जाति जैन निवासी बून्दी
11. अशोक जैन पुत्र बाबूलाल जैन जाति जैन नि0 जवाहर नगर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

12.कृपाल सिंह आ.जगरूप सिंह, अहीर सिख नि. बैद्यनाथपाडा बून्दी
13.बुद्ध सिंह आ.जगरूप सिंह, अहीर सिख नि. बैद्यनाथपाडा बून्दी
14.नसीम बानो पत्नी अब्दुल हमीद जाति मुसलमान नि. बाहरली, बून्दी
15.निशा लाठी पत्नी सुनिल कुमार लाठी, महाजन नि.मोचीबाजार बून्दी
16.कुन्ती लाठी पत्नी चन्द्रप्रकाश लाठी, महाजन नि.मोचीबाजार बून्दी
17.भंवरलाल आ. लक्ष्मीचन्द जाति कलाल नि. गुरूनानक कॉलोनी बूंदी
18.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी
19.विनोद कुमार आ.दिनेशकुमार जाति ब्राहमण नि.नाहरका चोहटा बूंदी
20.प्रमोद कुमार आ.दिनेशकुमार जाति ब्राहमण नि.नाहर का चोहटा बूंदी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो.सं.1,2/1,2/2,2/3,9,12,13,17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो.सं. 4/1, 4/2, 5, 8 की ओर से श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, एड0
रेस्पो.सं. 6 व 7 की ओर से श्री राजकुमार गोयल, एड0
रेस्पो.सं. 10 व 11 की ओर से श्री रामगोपाल गुर्जर, एड0
रेस्पो.सं. 14 की ओर से श्री नफीस अहमद, एड0
रेस्पो.सं. 15 व 16 की ओर से श्री गिरिराज गोचर, एड0
रेस्पो.सं. 19 व 20 की ओर से श्री गिरिराज गोचर, एड0
रेस्पो.सं. 18 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3109 दिनांक 09.06.2015 ग्राम छत्रपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। न्यायालय में वाद लम्बित होने व मृतक की मृत्यु के बारे में संदेह होने के कारणं कालूलाल वल्द बाला के वारिसान के पक्ष में खोला गया अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

अपील प्रस्तुत होने पर, अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस के पिता व पति कालूलाल आ. बाला जाति कुमरावत का आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा ग्राम छत्रपुरा में हिस्सा 204/454 निहित है। सहखातेदार कालूलाल आ. बाला की दिनांक 25.10.1997 को मृत्यु हो चुकी है, जिसका फोती नामान्तरकरण संख्या 3109 दिनांक 09.06.2015 को अपीलांटस के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण तहसीलदार बून्दी ने स्वीकार किया गया, इसके बाद उक्त नामान्तरकरण का नोट जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज किया, जो ग्राम छत्रपुरा के खाता संख्या 575 में दर्ज है, जिसमें फोती इंतकाल का नोट नामान्तरकरण सं. 3109 दिनांक 06.09.15 विरासत से मृतक कालूलाल के स्थान पर वारिसान शांतिदेवी पत्नि कालूलाल, अनिल कुमार पुत्र कालूलाल, उषा पुत्री कालूलाल हिस्सा 204/454 कौम कुमावत साकिन बैद्यनाथ पाडा दर्ज करना स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बून्दी ने नगरपरिषद बून्दी द्वारा दिनांक 12.03.15 को जारी अपीलांटस के पिता कालूलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.1997 के आधार पर फोती इन्तकाल तस्दीक किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 6.9.15 के बाद जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की दिनांक 12.12.15 को कम्प्यूटर की नकल ली गई है, उक्त जमाबंदी में तस्दीकशुदा उक्त नामान्तरकरण का अंकन किया हुआ है। लेकिन उक्त फोती इंतकाल को तस्दीक किये जाने के 6 माह गुजर जाने के बाद तहसीलदार बून्दी ने नामान्तरकरण जिल्द में नामान्तरकरण स्वीकार होने के अंकन के आगे उक्त नामान्तरकरण में शेष बची जगह पर अंकन बढ़ाकर मृत्यु के आशय सन्देहास्पद होने से निर्णय को बदलकर नामान्तकरण खारिज करने का अंकन अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से अधीनस्थ न्यायालय ने किया है। जबकि वास्तविकता में अपीलांटस के पिता कालूलाल की मृत्यु हो चुकी है वह जिन्दा नहीं है। कालूलाल के जिन्दा होने का कोई सबूत नहीं है। अपीलांटस के अलावा कालूलाल के अन्य कोई वैध वारिसन नहीं है। नामान्तरकरण सं. 3109 दिनांक 09.06.15 को पटवारी के द्वारा कॉलम नम्बर 15 में मृतक कालूलाल का सजरे के अनुसार वारिसान के नाम विरासत का नामा0 दर्ज कर पेश है, अंकन किया गया। इसके पश्चात् आईएलआर द्वारा रिपोर्ट की गई कि मुताबिक रिपोर्ट अंकन ठीक है। तत्पश्चात् तहसीलदार बून्दी ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया था, जो मृत्यु प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया था। बिना किसी आधार के तथा बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये ही, निर्णय रिव्यू करने की 30 दिवस की समयावधि गुजर जाने के बाद तहसीलदार बून्दी ने अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुये उक्त नामान्तरकरण में हस्तलेखन बढाकर अपने ही निर्णय को खारिज करने का अंकन किया है, तहसीलदार बून्दी का उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

आदेश अवैध, गैर कानूनी व राजकीय दस्तावेजों के साथ छेडखानी की श्रेणी में आता है तथा आपराधिक कृत्य भी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी, अपीलांटस के द्वारा पटवारी हल्का से नकल लेने गये तब हुई। पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है। उसी दिन दिनांक 01.03.16 को नामान्तरकरण की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की गई। इसके बाद अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील दिनांक 15.03.16 को बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई। उक्त अवधि को मुजरा देने पर अपील अन्दर अवधि पेश हुई है। देरी कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज निरस्ती का नोट विलोपित किये जाने एवं नामान्तरकरण स्वीकार का नोट बहाल फरमाया जाने बाबत आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषकगण रेस्पोडेन्टस ने संयुक्त रूप से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। अपीलांटस ने यह अपील विलम्ब से पेश की है, जिसका अपीलांटस द्वारा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभिभाषकगण रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांटस मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। आगे अपील में दौराने बहस गुणावगुण पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 1 बून्दी में विनोद कुमार बनाम कालू वगैरह दीवानी वाद संख्या 99/2011 दायर होकर निर्णय दिनांक 02.07.19 को हों चुका है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र कालूलाल की मृत्यु दिनांक 25.10.1997 को होने का उल्लेख है जबकि उसने स्वयं दिनांक 19.01.2011 को उप रजिस्ट्रार बून्दी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट शांतिबाई द्वारा अपने पति कालूलाल की मृत्यु का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मिथ्या सूचना कालूलाल की मृत्यु के संबंध में न्यायालय को प्रस्तुत की है जो कि गम्भीर कृत्य है। उक्त आवेदन पत्र कोस्ट पर खारिज किया गया। इससे यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि सहखातेदार कालूलाल की दिनांक 25.10.1997 को मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु कालूलाल जीवित है। ऐसे में अपीलांटस द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में खुलवाये गये फोती इंतकाल को निरस्त किये जाने में तहसीलदार बून्दी द्वारा किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कृत्य नहीं किया गया है। अपील अपीलांटस सारहीन होने से एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अभिभाषकगण रेस्पो0 ने अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये इसे चलने योग्य नहीं बताया है। अपील का परीक्षण मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 3109 दिनांक 09.06.15 की जानकारी दिनांक 01.03.16 को प्राप्त होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम में अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपील में विलम्ब के संबंध में प्रार्थना पत्र के समर्थन में तस्दीकशुदा शपथपत्र पेश किया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अपील जहां तक पूर्ण रूप से सारहीन नहीं हो, उसका निर्णय गुणावगुणों पर किया जाना चाहिये। लिहाजा हस्तगत अपील का निस्तारण गुणावगुणों के आधार पर किया जाना उचित समझते है।

गुणावगुणों पर अपील का परीक्षण किये जाने हेतु पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम छत्रपुरा, तहसील बून्दी की आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि में कालूलाल वल्द बाला कुमावत हिस्सा 204/454 पर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। सहखातेदार कालूलाल के दिनांक 25.10.97 को फौत हो जाना अंकित करते हुये पटवारी हल्का द्वारा मृतक कालूलाल के वारिसान शांतीबाई बेवा कालूलाल, उषा पुत्री कालूलाल, अनिल कुमार पुत्र कालूलाल हिस्सा 204/454 कौम कुमावत के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3109 खोला जाकर आईएलआर को पेश किया गया। आईएलआर द्वारा मुताबिक सजरा के अंकन ठीक होने की रिपोर्ट कर तहसीलदार बून्दी के समक्ष पेश किया गया। यहां अपीलांटस की आपत्ति है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3109 दिनांक 09.06.2015 को स्वीकार किया जा चुका है। जिसका नोट नकल जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में किया जा चुका है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांटस की ओर से कम्प्यूटराईज नकल जमाबंदी दिनांक 12/12/2015 पेश की गई। उक्त नकल प्राप्त कर लेने के बाद नामान्तरकरण निरस्ती का अंकन बढाया गया है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। इस संबंध में अभिभाषकगण रेस्पो0 का कथन रहा है कि अपीलांटस द्वारा तथ्यों को छिपाकर कालूलाल को मृतक बताते हुये नगरपरिषद बून्दी से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जाकर फोती नामान्तरकरण खुलवाना चाहा, जिसे खारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानूनी भूल नहीं की है, क्योंकि कालूलाल अभी जीवित है। अपने कथन के समर्थन में रेस्पो0 की ओर से अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 1 बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.19 की छायाप्रति पेश की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3109 एवं **नकल जमाबंदी** संवत् 2068 से 2071 ग्राम छत्रपुरा के अवलोकन से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रकट होता है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है, अधीनस्थ न्यायायल से भविष्य में कार्य में विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये जाने एवं पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। किन्तु यहां पर इस तथ्य को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता है कि तहसीलदार बून्दी को कालूलाल की मृत्यु के बारे में मिली जानकारी से मृत्यु संदेहास्पद होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया गया। रेस्पो0 की ओर से इस न्यायालय में पेश छायाप्रति निर्णय दिनांक 02.07.19 से प्रकट है कि अपर जिला न्यायाधीश, कम संख्या 1 बून्दी में विनोद कुमार बनाम कालू वगैरह दीवानी वाद संख्या 99/2011 में कालूलाल की मृत्यु के संबंध में अपीलांटस कोई पुख्ता दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं कर सके, जिससे कि कालूलाल की मृत्यु को संदेह से परे घोषित किया जा सके। जिससे जाहिर होता है कि अपीलांटस स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। वैसे भी नामान्तरकरण एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिससे किसी के हितों का अंतिम निर्धारण नहीं होता है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार कालूलाल की मृत्यु के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया गया, जो उचित प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 21.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी